218/14-01-05

03DD 992211

17

विक्रय पत्र अंकन 28,54,840/-रूपये का :-

स्टाम्प अंकन 2,85,500/-रूपये का :-

विक्रय भूमि का विवरण- कृषि भूमि रकबई 4.71875 एकड़ अर्थात 1.911 हैक्टेयर अर्थात 7-11-0 पुख्ता का 1/4 भाग रकबई 1-17-15 पुख्ता स्थित ग्राम डूंडा हैड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) जिसे आगे चलकर विक्रय कृषि भूमि कहा गया है । जो कि विक्रय है उपरोक्त भूमि पर कुल भूमि लगान 59/-रूपये 15 पैसे सालाना है जो कि कृषि भूमि है व

1045/2
1043/
1262
1265

Civil Court Compound
Ghaziabad

1

13 JAN 2005

M/s Offshore Properties Pvt. Ltd. N Delhi

13.1.05

2854020

[illegible]

2854020

[illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 992210

कृषि हेतु क्रेता क्रय संभव है । मैनरोड के मध्य बिन्दु से हटकर 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । सरकारी कृषि भूमि दर 9,60,000/ रुपये प्रति एकड़ है, जबकि स्टाम्प इससे अधिक के हिसाब से विक्रय कृषि भूमि की बनी कीमत उपरोक्त पर नियमानुसार अदा किया गया है जो कि निर्धारित दर से अधिक पर अदा है । बैनामा में नक्शा नजरी संलग्न है ।

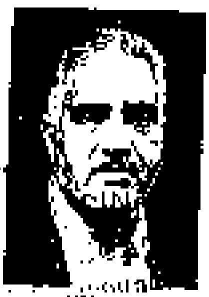

Civil Court ... Ghaziabad

13 JAN 2005

[illegible]

15-1-05

[illegible]

[illegible] संख्या [illegible] की [illegible] के [illegible] अंकित [illegible] है।

15-1-05

03DD 992209

यह कि श्री प्रहलाद सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी ग्राम चिपियाना बुजुर्ग परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर प्रथमपक्ष विक्रेता । जिन्हे आगे चलकर विक्रेता कहा गया है ।

03SD 992208

एवं मैसर्स एफेयर प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बी-47, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा श्री घनानन्द वशिष्ठ पुत्र श्री रेवाराम वशिष्ठ अथोराइज्ड सिगनेटरी कम्पनी उक्त द्वितीयपक्ष क्रेता । जिन्हें आगे चलकर क्रेता कहा गया है ।

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 पच्चीस हजार रुपये

03DD 992207

इस बैनामे में विक्रेता व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जायेंगे ।

विदित हो कि कृषि भूमि रकबई 4.71875 एकड़ अर्थात 1.911 हैक्टेयर अर्थात 7-11-0 पुख्ता लगानी 59/-रूपये 15 पैसे सम्बंधित खाता खतोनी नम्बर-141 सम्बंधित खसरा नम्बर-1043 रकबई 1.265 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर- 1045/2 रकबई 0.013 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर-1262 रकबई 0.304 हैक्टेयर व खसरा नम्बर- 1265 रकबई 0.329 हैक्टेयर योग नम्बरान-4, रकबई 1.911 हैक्टेयर का 1/4

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

B30D 992206

13 JUN

भाग एकबई । 17-15 पुख्ता अर्थात 1.17968 एकड़ स्थित ग्राम डूंडा हैड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) का सम्पूर्ण विक्रेतागण मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर भू-स्वामी है उक्त रकबा में मुझ विक्रेता के 1/4 भाग की भूमि आज दिन तक हर प्रकार के बैनामा भार सरकारी देयकों व अन्य सीज आदि आदि से मुक्त है, कहीं अन्य जगह आड, रहन, बय, हिबा, मुकदमेबाजी आदि आदि में ग्रस्त नहीं है । मिलकियत विक्रेता में किसी प्रकार का कोई दोष व त्रुटि नहीं है, इस प्रकार से

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 992205

वाद विवाद से मुक्त है । अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों के साथ बिना किसी डर दबाव व बहकावा के प्रभावित होते हुये मय तमाम हक हकूक मालिकाना दाखिली खारिजी हर किस्म मय कब्जा आदि आदि को मय हक कायम व स्वयं प्राप्त समस्त अधिकारों सहित आज की तारीख से बदले अंकन 28,54,840/-रूपये (अट्ठाइस लाख चव्वन हजार आठ सौ चालीस रूपये) आधा जिसके अंकन 14,27,420/-रूपये (चौदह लाख सत्ताईस हजार चार सौ बीस रूपये) होते है, मैं बहक द्वितीयपक्ष क्रेता कम्पनी उपरोक्त को विक्रय कर दिया है और

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 992204

बेच दिया है तथा कुल धनराशि निम्न प्रकार से वसूल पा ली । शुल्क बाकी नहीं रहा है । विक्रय भूमि कृषि है तथा कृषि हेतु बान है, दो फसली है सिंचाई का साधन बगल के खेत के नलकूप से है । इस समय विक्रय कृषि भूमि में कोई फसल बोई हुई नहीं है, भूमि मौके पर खाली है । कब्जा मौके पर क्रेता कम्पनी का वास्तविक रूप से करा दिया है । जिससे अब क्रेता कम्पनी पूर्णतः मालिक बन गयी है । क्रेता कम्पनी को सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त कृषि भूमि को जिस प्रकार चाहे यथेच्छित व्यावसायिक प्रयोग में लावे । कृषि भूमि को विक्रय आदि करे विक्रय का अनुबन्ध करे, इस बैनामे के आधार पर अपना नाम सरकारी कागजात में दर्ज

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 992203

आवश्यक कागजातों व विभागों आदि में दर्ज करावे, काश्त करे, व अन्य कोई कार्यवाही करे, अर्थात जिस प्रकार चाहे अपने मालिकाना स्वत्व में लाकर लाभ उठावे । अब विक्रेता या हमारे वारिसान का विक्रय भूमि से कोई मालिकाना हक्कता या सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है । शर्त है कि यदि मुझ विक्रेता के अनाधिकार से या किसी कानूनी नुक्स या मालूम के कारण उक्त कृषि भूमि का कुल या कुछ अंश क्रेता उपरोक्त कम्पनी के कब्जा व दखल मालिकाना से

039D 992202

निकल जावेगा तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह कब्जे से निकल जाने वाली कृषि भूमि की समस्त धनराशि मय ब्याज व हर्जे खर्चे आदि के विक्रेता व विक्रेता के वारिसान की चल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करले । कोई आपत्ति नही होगी । यदि राजस्व प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा इस विक्रय पत्र से सम्बंधित भूमि

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

03DD 992201

के रजिस्ट्रेशन के दिनांक तक की कर आदि की किसी भी देनदारी की दायित्व भूमि विक्रेता का होगा । और बाद इसके तदर्थ क्रेता उत्तरदायी होगी । मुझ विक्रेता ने उक्त नम्बरान में अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय किया है । उक्त भूमि ग्राम समाज व पट्टे भूदान अथवा सरकार की नहीं है । विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से नहीं है ।

10000 रु. Rs 10000

दस हजार रुपये RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

0JAA 614207

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें । यह बैनामा विक्रेता के पिछले कागजात अनुसार व विक्रेता व क्रेता के बताये अनुसार लिखा गया है ।

विवरण वसूलयाबी कुल धनराशि का :

अंकन 28,54,840/- रुपये चैक नम्बर 177846 दिनांक 12-01-2005 पंजाब नैशनल बैंक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा विक्रेता ने क्रेता कम्पनी से बेबाकी वसूल पाये ।

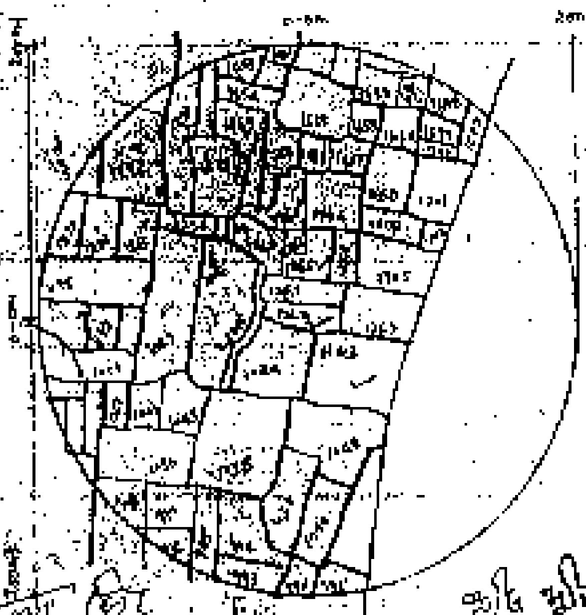

MANOJ SHARMA

ARCHITECHNO-COMBINE

CH. NO. 05, TEHSIL COMP, GZB.

PH. : [illegible]-2706133, M-9[illegible]1504899

(BASED ON DRG. SUPPLIED BY OWNER)

5001

INDIA NON JUDICIAL

500 रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पांच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

[illegible]

गवाह नं0 1 [illegible]

गवाह नं0 2 Mukesh Chandra [illegible]
C-4/120 Sanjay Enclave
Uttam Nagar New Delhi

दिनांक 14.01.2005 मसौदा तैयार [illegible] सिंह एडवोकेट चैम्बर नम्बर 56, तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद ।

Civil Court [illegible]
Ghaziabad

13 JAN 2005

बही नं० 1 जिल्द नं० 5874 के पृष्ठ 303 नम्बर 218

को आज दिनांक 14/1/05 को रजिस्ट्री की गई।

स० र० प्रथम

गाजियाबाद

217/14-01-05 1

31 (18)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 992176

(18)

<u>विक्रय पत्र अंकन 28,54,840/-रूपये का :-</u>

<u>स्टाम्प अंकन 2,85,500/-रूपये का :-</u>

<u>विक्रय भूमि का विवरण-</u> कृषि भूमि रकबई 4.71875 एकड़ अर्थात 1.911 हैक्टेयर अर्थात 7-11-0 पुख्ता का 1/4 भाग रकबई 1-17-15 पुख्ता स्थित ग्राम डूंडा हैडा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) जिसे आगे चलकर विक्रय कृषि भूमि कहा गया है । जो कि विक्रय है उपरोक्त भूमि पर कुल भूमि लगान .59/-रूपये 15 पैसे सालाना है जो कि कृषि भूमि है व

1043
1045/2
1265
1262 1/4

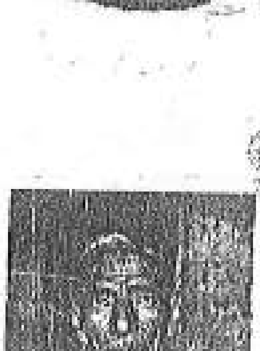

VIRENDRA ... L SINGH
... VOCATES
Civil Co... Compound
Ghaziabad

13 JAN 2005

M/s. Lilac Real Estates Developers Pvt. Ltd. | 13.1.2005

फीस 22,25,040/-

रजि० शुल्क 55001/- प्रतिलिपि शुल्क 221/- ...

श्री ...

पुत्र श्री ...

निवासी ... नई दिल्ली

ने यह लेख्य पत्र इस कार्यालय में ... प्रस्तुत किया।

आज ... के समय ... बजे

प्रस्तुत किया।

उप पंजीयक प्रथम

लेखपत्र के निष्पादन ...

रुपये पूरे 22,25,040/- ...

विक्रेता ने ...

पुत्र ...

पुत्र ...

पुत्र ...

ने ...

पुत्र श्री ...

पुत्र श्री ...

ने पहिचान किया।

25000

INDIA NON JUDICIAL

25000

25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 992175

कृषि हेतु क्रेता को विक्रय की है। मौके से मध्य बिन्दु से सड़क 500 मीटर से अधिक दूरी पर है। सरकारी कृषि भूमि दर 9,60,000/- रुपये प्रति एकड़ है, जबकि स्टाम्प इससे अधिक, की हिसाब से विक्रय कृषि भूमि की मालियत उपरोक्त पर नियमानुसार अदा किया गया है जो कि निर्धारित दर से अधिक पर अदा है। मौके का नक्शा नजरी संलग्न है।

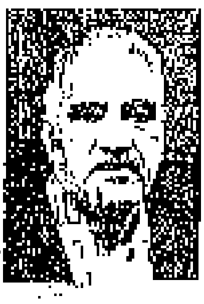

13 JAN 2005

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 992174

हम कि श्याम सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी ग्राम [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जिला [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है ।

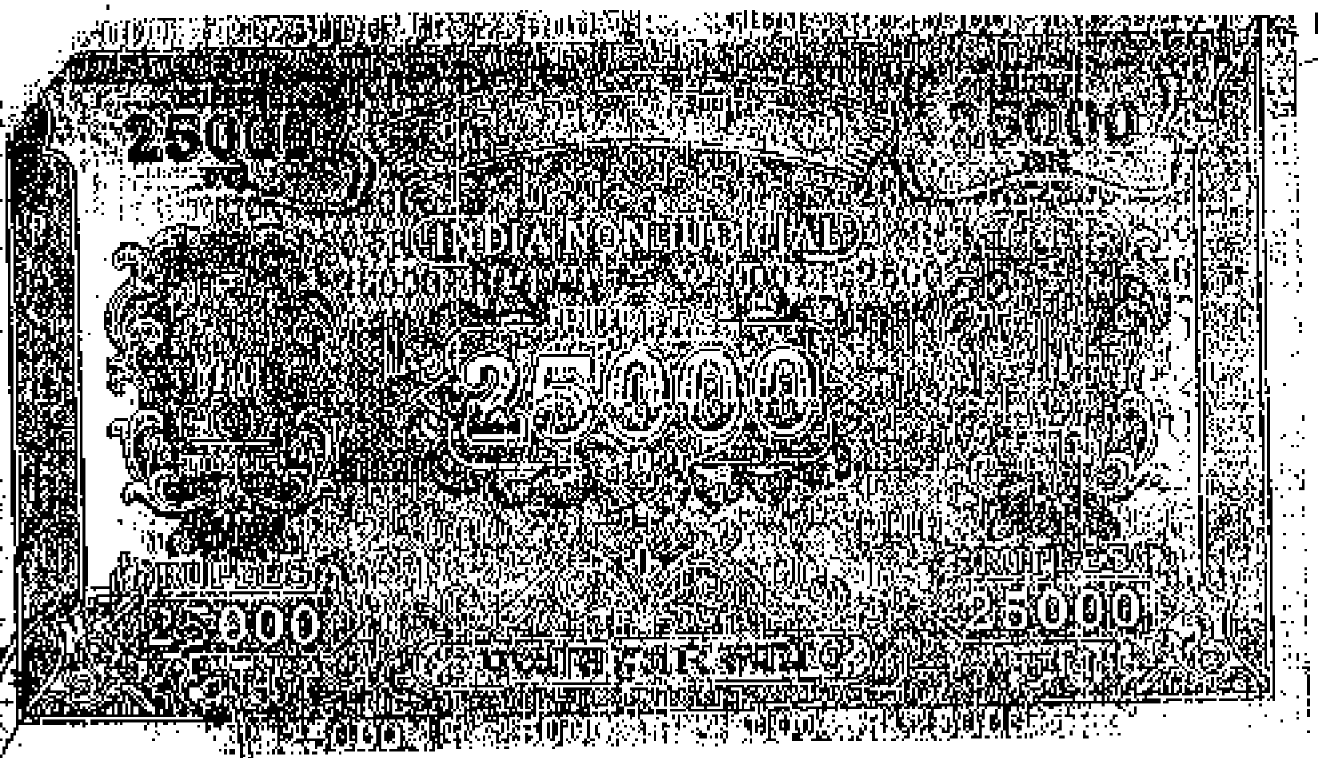

0300 992173

एन मैसर्स लिलेक्स रियल एस्टेट्स डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-47, कनाट प्लेस, नई दिल्ली 110001, द्वारा श्री घनानन्द वशिष्ठ पुत्र श्री टेकाराम वशिष्ठ अधिकृत सिग्नेटरी कम्पनी अन्य द्वितीयपक्ष होगा । जिन्हें आगे चलकर क्रेता कहा गया है ।

5

INDIA NON JUDICIAL

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000

03DD 992172

इस बैनामे मे विक्रेता व क्रेता कम्पनी के समस्त उत्तराधिकारी एवं वैधानिक व न्यायिक प्रतिनिधिगण आदि सम्मिलित समझे जायेंगे ।

विदित हो कि कृषि भूमि रकबई 4.71875 एकड़ अर्थात 1.911 हैक्टेयर अर्थात 7-11-0 पुख्ता लगानी 99/-रूपये 15 पैसे सम्बंधित खाता खतोनी नम्बर-141 सम्बंधित खसरा नम्बर-1043 रकबई 1.265 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर-1045/2 रकबई 0.013 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर-1262 रकबई 0.304 हैक्टेयर व खसरा नम्बर-1265, रकबई 0.329 हैक्टेयर योग नम्बरान-4, रकबई 1.911 हैक्टेयर का 1/4 भाग रकबई 1-17-15 पुख्ता अर्थात 1.17968 एकड़, स्थित ग्राम डूंडा हेडा परगना लोनी तहसील व

6

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0300 992171

जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) । यह अचलपत्र विक्रेता मालिक काबिज व संक्रमणीय भूमिधर भूस्वामी है उक्त खसरा में मुझ विक्रेता के 1/3 भाग की भूमि आज दिन तक हर प्रकार के [illegible] और सरकारी देनदारी व अन्य [illegible] आदि आदि से मुक्त है, कहीं अन्य जगह बैय, रहन, गिरवी, हिबा, वसीयतनामा आदि आदि में नहीं है । बिलविक्रय विक्रेता के किसी प्रकार का कोई दावा व त्रुटि नहीं है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है । अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से [illegible] [illegible] व [illegible] दुरुस्ती के साथ बिना किसी दबाव व [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

0305 992170

एक मुश्त मालिकाना हासिली अधिकारों का विक्रय मय कब्जा आदि आदि को मय एक कागज व स्वत्व प्राप्त सभी अधिकारों सहित आज की तारीख में बदले अंकन 28,54,840/-रुपये (अट्ठाईस लाख चव्वन हजार आठ सौ चालीस रुपये) आधा जिसका अंकन 14,27,420/-रुपया (चौदह लाख सत्ताईस हजार चार सौ बीस रुपये) होते हैं, मैं ग्राहक द्वितीयपक्ष ग्रीन कम्पनी उपरोक्त को विक्रय बय किया है और बय किया है तथा कुल धनराशि निम्न प्रकार में मसूल पा ली । कुछ बाकी नहीं रहा है । विक्रय भूमि गैर ... है तथा

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

03DD 992169

कृषि भूमि [illegible] है, जो कस्बा [illegible] मिलाई [illegible] [illegible] तहसील के क्षेत्र के नक्शा [illegible] में है । इस समय विक्रय कृषि भूमि में कोई निर्माण बनाई हुई नहीं है, भूमि मौके पर खाली है । आज मौके पर क्रेता कम्पनी को वास्तविक रूप से कब्जा दिया है । जिससे अब क्रेता कम्पनी भूमि, मालिक बन गयी है । क्रेता कम्पनी का सर्वोपरि अधिकार है कि वह उक्त कृषि भूमि को किसी प्रकार कोई व्यवसायिक [illegible] प्रयोग में लाये । कृषि भूमि को विक्रय आदि करे, विक्रय का [illegible] करे, इस [illegible] के [illegible] पर [illegible] [illegible]

सरकारी गैर सरकारी व अन्य आवश्यक कागजातों व विभागों आदि में दर्ज करावें, कब्जा करें, व अन्य कोई कार्यवाही करें, अर्थात जिस प्रकार चाहें उसके मालिकाना हकूक से लाभ उठावें । हम विक्रेता या हमारे वारिसान का विक्रित भूमि से कोई मालिकाना वास्ता या सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है । यदि [illegible] विक्रेता के अधिकार में या किसी कानूनी नुक्स या गलती के कारण उक्त कृषि भूमि का कुल या कुछ अंश क्रेता उपरोक्त व्यक्तियों के कब्जे व समस्त मालिकाना से निकल जायेगा तो क्रेता को अधिकार होगा

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

03DD 092167

कि वह कब्जे से निकल जाने वाली कृषि भूमि को अथवा आवासीय मय ब्याज व हर्जे खर्चे आदि के विक्रेता व विक्रेता के वारिसान का चल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करले । कोई आपत्ति नहीं होगी । भू. अर्जन प्राधिकारी अथवा अन्य द्वारा इस विक्रय पत्र से सम्बंधित भूमि के रजिस्ट्रेशन की दिनांक तक की कर आदि की किसी भी देनदारी का दायित्व भूमि विक्रेता का होगा ।

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000

पच्चीस हजार रुपये

0300 992166

और मात्र इसके संदर्भ प्रमाण अदालती होगी । मुझ विक्रेता ने उक्त नम्बरान में अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय किया है । उक्त भूमि ग्राम समाज व पट्टे भूदान अथवा सरकार की नहीं है । विक्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति से नहीं है ।

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

DJAA 614205

13 JAN 2005

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे । यह बैनामा विक्रेता के निर्देश/बताये अनुसार व विक्रेता व क्रेता के बताये अनुसार लिखा गया है ।

विवरण भुगतान [illegible]

अंकन 28,54,840/- रुपये चैक नम्बर 225811 दिनांक 12-01-2005 पंजाब नैशनल बैंक, कनाट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा विक्रेता ने क्रेता कम्पनी से पेशगी वसूल पाये ।

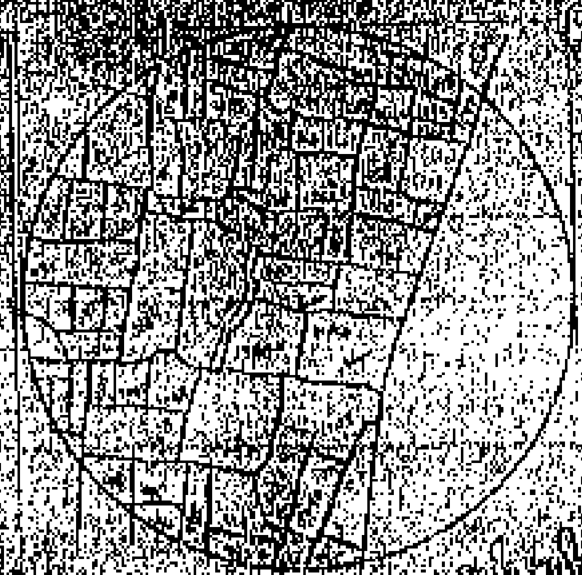

MANOJ SHARMA

ARCHITECTING COMBINE

CH. NO. 65, TEHSIL COM...

PH.: R-2786143, M-98150-...

(Based on plan supplied by owner)

500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs 500

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

गवाह नं० 1
[illegible]

गवाह नं० 2
Mukesh Chandra S/o Late Ch. Mandhar
C-1/120 Sanjay
Enclave, Uttam Nagar
New Delhi

दिनांक 14-09-2005 समक्ष वीरेन्द्र पाल सिंह, एडवोकेट चेम्बर
नम्बर [illegible] प्रतिहस्ताक्षरित ।

... L. SINGH
... CATE

बही सं० 1 जिल्द सं० [illegible] के पृष्ठ [illegible] से [illegible] तक क्रमांक [illegible]
पर आज दिनांक [illegible] को रजिस्ट्री की गई

स० र० प्रथम
गाजियाबाद